संसदीय राजभाषा समिति

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि (26 जनवरी, 1965) के 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प पारित कर संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा।

- इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

- इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों केलिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हरेक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। राष्ट्रपति राज्य सरकारों द्वारा दिए गए मत पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन पर या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

- उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में जनवरी, 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इसके 30 सदस्य हैं जिनें 10-10

सदस्यों की तीन उप समितियाँ हैं। उनके निरीक्षण केलिए अलग-अलग मंत्रालय, विभाग विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

- समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है । परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री जी को समय-समय सिमति का अध्यक्ष चुना जाता रहा है ।

- यह समिति केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने केलिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे संवैधानिक उपबंधों के लक्ष्य प्राप्त हो सकें ।

- समिति सचिवालय 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है जो एक बहुत छोटा कार्यालय है जिसकी प्रधान समिति की सचिव है और उनकी सहायता केलिए तीन अवर सचिव और अन्य कार्मिक है । ये सभी समिति के विभिन्न कार्यकलापों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं । यह सचिवालय प्रशासनिक प्रयोजनों की दृष्टि से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन आता है ।